R.M.M. Law College, Saharsa
Lecturer - Nareshji Anand
LL.B - Part - IInd
Paper - Ist Muslim Law
Family Law

मेहर, तलाक और भरण पोषण: उलझन और नई दिशा,—

मेहर के भुगतान की अंतिम समय सीमा विवाह का विघटन का क्षण है चाहे विघटन तलाक से हो अथवा मृत्यु से। भुगतान को इससे आगे नहीं खींचा जा सकता। किन्तु बहुत सारी घटनाएँ होती हैं कि मुस्लिम पत्नी को उसका पति एकाएक तलाक दे देता है और उसके सामने भविष्य की दशा मुँह बाये खड़ी हो जाती है और एकदम व्यवस्था के लिए चारों ओर से जो मिले वो साधन खोजना पड़ते हैं। मेहर एक ऐसा स्रोत है जिसे वह पैसों के लिए खोजना चाहती है। तथा इसका अर्थ यह हुआ कि मेहर वह रकम है जो पति द्वारा पत्नि को तलाक पर दी जाती है। यह ठीक वही प्रश्न है जो न्यायालयों में, विधायिनी में तथा मुस्लिम समाज में पिछले दो दशक से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस विवाद का बीज दण्ड प्रक्रिया संहिता (1973) के अध्याय IX के उन कुछ प्रावधानों में पड़ा जो कुछ सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु बनाये गये। उस अध्याय का शीर्षक

है पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिताओं के भरण-पोषण हेतु आदेश। इसमें धारा 125 (1) की यह अपेक्षा करती है कि वह व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन है, कर्तव्यबद्ध है कि उसकी पत्नी इसमें वह पत्नी भी शामिल है जिसे उसने तलाक दिया हो, जो स्वतः भरण पोषण नहीं कर सकती, का भरण-पोषण करे। मजिस्ट्रेट पर यह भार डाला गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को उसके परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आदेश दे, और आगे, धारा-127 (3) ख यह भी आदेश करती है कि जब यह सिद्ध हो जाये कि पत्नी को उसके पति से परंपरानुसार अथवा स्वीय विधि के अनुसार तलाक के समय जो रकम मिलती है वह पूरी प्राप्त हो चुकी तब मजिस्ट्रेट उस आदेश को, (जो 125 (1) के अंतर्गत दिया था) रद्द कर दे।

फजलुनबी ब. के. खादिर वली नाम के वाद में यह समस्या उत्पन्न हुई कि दोनों में 1966 में विवाह हुआ। उन्हें एक बच्चा भी हुआ। खादिर भारतीय स्टेट बैंक में अपर लेखापाल था। उसने फजलुनबी का परित्याग कर दिया; तब फजलुनबी ने धारा 125 द. प्र. सं. के अंतर्गत भरण पोषण के लिए प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट ने खादीर वली द्वारा 250 रु० प्रतिमाह फजलुनबी के लिए और 150 रु० प्रतिमाह पुत्र के लिए भरण पोषण का खर्चा देने का आदेश दिया। खादिर वली ने फजलुनबी को तलाक दे दिया, मेहर के खाते रु० 500 कुल और 750 रु० कुल भरण-पोषण

Scanned with CamScanner

के नाम स्थगत काल के लिए जमा कर दिया।
फलस्वरूप मजिस्ट्रेट ने धारा 127 (3) ख की व्यवस्थानुकूल
भरण पोषण का आदेश निरस्त कर दिया। अपील में
उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण के आदेश को सही
पाया। उच्च न्यायालय से फजलुनबी अपील में उच्चतम
न्यायालय आयी। मूल प्रश्न था, क्या मेहर वह
रकम है जो तलाक पर देय बनती है। इस प्रश्न
का उत्तर तो उच्चतम न्यायालय ने नकारात्मक किया
किंतु उसके निर्णय के शब्दों से मानस दूसरा
ही उजागर हुआ।

न्यायमूर्ति अय्यर कहते हैं,
"विधिशास्त्र मुस्लिम वर्ग के प्रभाव के कारण हो अथवा
और कुछ, इस मेहर के वचन अथवा भुगतान को
तलाक के बाद मानता है। हो सकता है कुछ विधिविदों
ने इसे ऐसा अर्थ में लिया हो परंतु विधि तो
नहीं होगी जो अधिनियम के रूप में पारित है।
धारा 127 (3)(ख) की भाषा से यही तात्पर्य निकलता
है कि रकम का भुगतान तथा तलाक की क्रिया आवश्यक
रूप से एक ही व्यवहार का अंग होना चाहिए ताकि
दोनों बातें एक दूजे के प्रतिफल बनें। निचली
जाति कहलाने वाली जातियों में इस प्रकार के
परम्परा देखने को मिलता है। जो भी हो धारा-
127 (3)(ख) में परिकल्पित पैसों का भुगतान तलाक
से इस प्रकार सम्बद्ध होना चाहिए कि वह
केवल तलाक की स्थिति में ही देय बने।"

किंतु मोहम्मद अहमद खान बनाम
शाहबानो बेगम पहला वाद है जिसमें न्यायालय

Scanned with CamScanner

ने मेहर को तलाक से अलग किया। तथ्य इस प्रकार है - मोहम्मद अहमद खान (अ) का शाहबानो बेगम (ब) से 1932 में विवाह हुआ था। 1975 में अ ने ब को वैवाहिक घर से बाहर भगा दिया। 1978 में ब ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर के न्यायालय में अर्जी दायर की जिसमें प्रार्थना की कि 500 रु. प्रतिमाह उसे भरण-पोषण का भत्ता दिलवाया जाय। उसी वर्ष अ ने ब को अप्रतिसंहरणीय तलाक दे दिया। अब भरण-पोषण सम्बन्धी अर्जी का प्रतिवाद पुराने आजमाये हुए रास्ते पर ही चला। ब अब उसकी पत्नी नहीं रही, उसने उसे 200 रु. प्रतिमाह के हिसाब से दो वर्ष की रकम अदा कर दी तथा मेहर के नाम 3000 रु. इद्दत काल में अदालत में जमा कर दिये। इस पर भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रु. 179.20 रु. मासिक भरण-पोषण भत्ते के निर्धारित कर दिये। इस आदेश को अ ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। अ के प्रतिवाद का दूसरा तर्क था कि ब द्वारा धारा 125, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रेषित अर्जी धारा 127 (3) ख के परिणाम स्वरूप खारिज कर दी जानी चाहिए, कारण, वह धारा मजिस्ट्रेट को आदेशित करती है कि जब यह सिद्ध हो जाय कि तलाकशुदा औरत को पति से तलाक के अवसर पर परंपरा अनुसार अथवा मुस्लिम विधि के अनुसार मिलने वाली रकम प्राप्त हो चुकी है तब मजिस्ट्रेट निर्वाह भत्ते का उक्त आदेश रद्द कर देगा। इस तर्क के परिणामस्वरूप प्रश्न उठता है कि मुस्लिम विधि में तलाक के समय कोई रकम देय बनती है क्या?

Scanned with CamScanner

अपीलकर्ता (अ) का तर्क था कि 'मेहर' की वह रकम है जो तलाक के समय पति द्वारा पत्नी को देय बनती है। उच्चतम न्यायालय ने निम्न कारणों के आधार पर उक्त तर्क को अमान्य कर दिया -

यह तथ्य की आस्थगित मेहर विवाह के विघटन के समय देय बनता है - इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाता है कि वह तलाक पर देय रकम है। तलाक एक याद रखने को सरल सा समय बिन्दु है जिसके संदर्भ में मेहर की अदायगी का समय व्यक्त किया जा सकता है किन्तु तलाक वह कारक नहीं है जो भुगतान को जन्म देता हो और धारा 127 में प्रयुक्त पद 'तलाक पर' का यही अर्थ है कि वह कारक जो भुगतान को जन्म देता है। यदि मेहर वह रकम है जो पत्नी पति से विवाह पर पाने की हकदार बनती है जो उसे विवाह पर प्रतिफल में मिलती है तो फिर वह रकम उसके ठीक विपरीत है जो उसे तलाक पर प्रतिफल में मिलती है। तलाक से विवाह का विघटन होता है, तब तो जो रकम विवाह के प्रतिफल में देय बनती है वह तलाक के प्रतिफल में देय नहीं कहलायी जा सकती। दूसरी वैकल्पिक मान्यता की मेहर वह दायित्व है जो पति पत्नि के सम्मान में अधिरोपित है - इस धारणा को काट देता है कि मेहर वह रकम है, जो पत्नी को तलाक पर देय है। एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम, सुन्दरता, पांडित्य के लिए अथवा वैसे ही विवाह रचाता है और वह उसके सम्मान में एक रकम की व्यवस्था करता है किंतु वह उसे सम्मान देने हेतु तलाक नहीं देता। इसलिए स्पष्ट है कि जो रकम पत्नी को सम्मान पूर्वक दी जाती है वह तलाक पर दी जाने वाली रकम नहीं हो सकती।

Scanned with CamScanner